धनराशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतु, पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान की गई सहायता राशि और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार किया गया व्यय इस प्रकार है :—

1. विशेष केन्द्रीय सहायता

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार व्यय
1987–88	5735.34	5387.00
1988–89	6201.27	6051.00
1989–90	6930.89	8170.00

नोट:—वर्ष 1989–90 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न केवल उस वर्ष के दौरान विमुक्त विशेष सहायता राशि का ही उपयोग किया गया अपितु पिछले वर्षों की व्यय न की गई राशि का भी उपयोग किया गया ।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में प्रदान की गई सहायता

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	व्यय
1987-88	986.75	986.75
1988-89	615.76	615.76
1989-90	1094.05	1094.05

मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि उन्होंने राज्य में कार्यान्वयन तंत्र को, ठीक कर दिया है ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग हो सके । मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान का उपयोग कर लिया है। योजनाओं की एक सूची संलग्न है । (देखिए परिशिष्ट 157, अनुपत्र सं० 10)

बेरोजगारों को बेरोजगारी-भत्ते का दिया जाना

281. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने अथवा उन्हें रोजगार की गारंटी देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) केन्द्र सरकार का रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार-व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने अथवा रोजगार की गारन्टी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्रम-न्यायालयों में लम्बित पड़े मामले

282. **श्री अजीत जोगी** :क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न श्रम न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की राज्य वार संख्या कितनी है ;